KUMAUN GARHWAL
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
UTTARAKHAND

CHAMBER HOUSE, INDUSTRIAL ESTATE, BAZPUR ROAD, KASHIPUR, DISTT. U. S. NAGAR (UTTARAKHAND)
Phone : (05947) 262478, Fax : (05947) 262078, E-mail : kgcci10@gmail.com, Website : www.kgcci.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक : 19.07.2020

केजीसीसीआई अध्यक्ष, श्री अशोक बन्सल द्वारा अवगत कराया गया कि दिनाँक 18 जुलाई, 2020 को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, श्री एस पी सुबुद्धि के साथ कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियन्ता, डॉ0 अंकुर कंसल व प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, काशीपुर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री नरेश गोस्वामी भी उपस्थित थे। वेबिनार का संचालन केजीसीसीआई के महासचिव, श्री आर के गुप्ता द्वारा किया गया।

इस अवसर पर केजीसीसीआई अध्यक्ष, श्री अशोक बन्सल द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, श्री एस पी सुबुद्धि जी से माँग की गयी कि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से कन्सेन्ट जारी किये जाने हेतु 5 करोड़ निवेश की सीमा को बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाना चाहिए। उद्योगों के हजार्ड्स एवं ई–वेस्ट के निस्तारण हेतु विभाग की ओर से मात्र एक ही संस्था को अधिकृत किया गया है। इस एकाधिकार प्राप्त संस्था द्वारा इकाईयों के कचरे का निस्तारण मनमानी दरों पर करने के कारण उत्तराखण्ड की इकाईयों को अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत ई–वेस्ट का बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है। अतः हजार्ड्स एवं ई–वेस्ट के निस्तारण हेतु और अधिक संस्थाओं को अधिकृत किया जाना चाहिए। जब किसी उद्यमी द्वारा अपनी इकाई में कुछ बदलाव किया जाता है यथा–जेनरेटर या बॉयलर की क्षमता बढ़ाई जाती है तो बोर्ड में संशोधन कराये जाने हेतु सम्पूर्ण स्थापना अनुमति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिससे उद्यमियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः ऑनलाईन प्रक्रिया में बदलाव के लिए अनुमोदन का प्रावधान होना चाहिए।

केजीसीसीआई अध्यक्ष द्वारा माँग की गयी कि औद्योगिक इकाईयों में जाँच के दौरान पाई गई त्रुटियों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना की विधि को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए। इसके अन्तर्गत इकाई द्वारा प्रथम बार त्रुटिवश हुए किसी नियम के उल्लंघन को अपराध न मानते हुए इकाई को चेतावनी देकर भूल सुधार का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित एनओसी एवं नवीनीकरण की फीस अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, अतः इनके शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती कर उद्योगों को राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाईयों द्वारा कन्सेन्ट के नवीनीकीरण हेतु फीस पूरे साल के लिए जमा की जाती है लेकिन नवीनीकरण प्रमाण पत्र में पूरे साल की अवधि का उल्लेख नहीं किया जाता। इसकी अवधि का निर्धारण आवेदन करने की तिथि से न करके फीस जमा करने की तिथि से किया जाता है जिससे इकाईयों को उनके ऑडिट एवं एक्सपोर्ट में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः बोर्ड द्वारा कन्सेन्ट के नवीनीकरण में वित्तीय वर्ष की अवधि (1 अप्रैल से 31 मार्च) का उल्लेख किया जाना चाहिए।

अवगत कराया गया कि केजीसीसीआई के कुछ सदस्य उद्योगों द्वारा कन्सेन्ट व एनओसी हेतु 3 व कुछ उद्योगों द्वारा 5 साल के नवीनीकरण हेतु फीस जमा कर दी गयी है परन्तु बोर्ड द्वारा केवल एक साल के लिए ही कन्सेन्ट जारी की गयी है अतः इकाईयों द्वारा जमा किए गए शुल्क के अनुसार ही उन्हें कन्सेन्ट व एनओसी जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा लागू नए कठोर नियमों के कारण उद्यमी सिडकुल, पन्तनगर में अपने कार्यरत उद्योगों का विस्तारीकरण एवं नए उद्योग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, अतः प्रदूषण नियन्त्रण के नए मानकों को शिथिल करते हुए पुराने मानकों को ही लागू किया जाए ताकि सिडकुल में उद्यमी अपने उद्योगों का विस्तारीकरण व नए उद्योग स्थापित कर सकें। इससे राज्य के राजस्व एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

वेबिनार में श्री एस पी सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की कन्सेन्ट का अधिकार 5 करोड से बढ़ाकर 25 करोड़ किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि हमारी कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल में अलग–अलग 2 मुख्य पर्यावरण अधिकारी नियुक्त करने की योजना है जिसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। उन्हें 100 करोड़ तक पूंजी निवेश की इकाईयों को कन्सेन्ट देने के लिए अधिकृत किया जाएगा। अब कन्सेन्ट में वित्तीय वर्ष का उल्लेख किया जाएगा ताकि उद्योगों को उनके ऑडिट एवं एक्सपोर्ट के समय परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उद्योग में पूँजी निवेश के अनुसार कन्सेन्ट की फीस का भी पुनर्निर्धारण करने का आश्वासन दिया जिससे पूर्व की अपेक्षा फीस काफी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन उद्योगों द्वारा कन्सेन्ट हेतु आगामी कई वर्षों की फीस जमा करा दी गयी है उसे अगले वर्षों की कन्सेन्ट में समायोजित कर लिया जाएगा तथा उद्योगों में होने वाले छोटे–छोटे परिवर्तनों को कन्सेन्ट की प्रक्रिया से मुक्त रखने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अच्छा काम करने वाले उद्योगों हेतु केजीसीसीआई के सहयोग से अवार्ड प्रदान कर प्रोत्साहित करने पर भी अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने अवगत कराया कि कुमाऊँ में हर्जाड्स वेस्ट के निस्तारण हेतु वे एक यूनिट लगवाने के लिए प्रयासरत हैं इससे क्षेत्र के उद्योगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों द्वारा हजार्ड्स वेस्ट को अपनी सुविधानुसार दूसरे प्रान्तों में भी ले जाया जा सकता है परन्तु इसके लिए सम्बन्धित प्रान्त के प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव की सहमति लेना आवश्यक है। कन्सेन्ट हेतु ऑनलाईन आवेदन में आ रही परेशानी के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि यह साईट भारत सरकार के पर्यावरण मन्त्रालय से लिंक है तथा देश के 28 राज्य उससे सम्बद्ध हैं जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसमें जल्दी सुधार होने की सम्भावना है।

वेबिनार में केजीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विनीत कुमार, निवर्तमान अध्यक्ष श्री विकास जिन्दल, पेपर यूनिट चैप्टर चेयरमैन श्री पवन अग्रवाल, श्री शरत गोयल, श्री विवेक जैन, कुलदीप सिंह, अनूप सिंह, संजीव तोमर, डॉ0 आर सी रस्तोगी, नरेश घई, विशाल कपूर, मधुप मिश्रा, सुरेश कुमार, आशुतोष शर्मा, डी के वर्मा, राजू गावा, राजेश कुमार, सन्तोष कुमार सिंह, धीरेन्द्र शाह, अमित गुप्ता, शशिकान्त रावटे, मनमोहन सिंह, दुर्गेश मोहन, हरिओम जी, उमेश शर्मा, पुनीत गोयल, मुकेश झा, विकास जैन, मुदित कुमार अग्रवाल, अमित अग्रवाल, संजीव कुमार, जितेन्द्र कुमार, शिवा प्रताप सिंह, मानवेन्द्र सिंह, प्रमोद पुण्डीर, नरेश कंसल, नवीन झांजी, अतुल असावा, विनीत अजीतसरिया, एस एस आनन्द, राजीव शर्मा, राजीव विश्नोई, पी सी विश्वकर्मा, विक्रम सिंह राणा, मनमोहन सिंह, सत्यवीर सिंह आदि उपस्थित थे।

(अशोक बन्सल)
अध्यक्ष